न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 95/2017 (223 आरटीए) जोराराम वगै. बनाम फगलाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00268)

1 जोराराम पुत्र श्रीराम,
2 सुआदेवी पत्नी श्रीराम,
3 प्रहलादराम पुत्र श्रीराम,
4 बीरबलराम पुत्र श्रीराम,
जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 फगलाराम पुत्र श्री कोजाराम,
2 दौलाराम पुत्र श्री हणुतराम,
3 जोगाराम पुत्र श्री दौलाराम,
4 भाकरराम गोदपुत्र श्री भैराराम जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
5 तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर दिनांक 06.06.2016 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 56/2012

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
3 रेस्पों सं. 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 24.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर के राजस्व वाद सं. 56/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

24/10/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से राजस्व वाद सं. 56/2012 पेश कर कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नं. 528/3 रकबा 1 बीघा ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर में आई हुई है। जिसके दक्षिण की तरफ अपीलांट्स व रेस्पो. सं. 2 से 4 की खातेदारी की भूमि आई हुई है तथा वे वादी की वादग्रस्त भूमि को हड़पने की नियत से दक्षिणी पूर्वी माठ को नष्ट कर वादी के खेत में आगे सरकते जा रहे हैं। वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नं. 528 का हिस्सा है तथा अंतिम डिक्री की पालना में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज की गई। तब से वादी मौके पर काबिज है तथा वादग्रस्त भूमि से उसे बेदखल करना चाहते हैं जिन्हें रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में वादी द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जो वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। बाद तामील रेस्पो सं. 2 से 4 व अपीलांट्स के पिता के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वर्ष 2015 में अपीलांट्स के पिता श्रीराम जो कि मूल वाद में प्रतिवादी सं. 2 थे का देहांत हो गया जिनके उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही किये बिना ही वाद के समर्थन में गवाही लिये बिना ही, तथा डिक्री किये जाने का आदेश दिये बिना ही वादी के वाद को स्वीकार करने का आलोच्य निर्णय दिनांक 06.06.2016 को पारित किया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। दौराने वाद प्रतिवादी सं. 2 श्रीराम का देहांत वर्ष 2015 में हो गया था तथा उनके विधिक उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही किये बिना ही मृत व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया गया जो निर्णय मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। मौके पर बंटवाड़ा करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है इस कारण भी आलोच्य निर्णय अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य व साक्षी प्रस्तुत किये ही नहीं गये इस कारण वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने की जगह

24/10/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित किया है जो निर्णय साक्ष्य के अभाव में अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरुद्ध तामील की कार्यवाही विधि अनुसार नहीं करवाई गई है इस कारण भी उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल लाये जाने का आदेश विधि अनुसार नहीं होने के कारण खारिज व अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया इस कारण आलोच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पर बहस करते हुए कथन किया कि अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए धारा–5 प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश किया है। रेस्पो. सं. 1 द्वारा दिनांक 30.10.2017 को मौके पर आकर धमकी दी कि उसके द्वारा न्यायालय से निर्णय करवा लिया है तथा अवमानना की कार्यवाही की जा रही है तथा मौके पर वह कब्जा कर लेगा जिस पर अपीलांट्स दिनांक 01.11.2017 को पीपाड़ शहर आये तथा नकल हेतु आवेदन किया। जो नकल तैयार होकर दिनांक 02.11.2017 को मिली जिसे पढ़ने पर प्रथम बार आलोच्य निर्णय की जानकारी हुई। जिसके बाद जानकारी की दिनांक से यह अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की। अतः धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। तदनुसार अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पो. सं. 1 फगलाराम ने स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिसों की तामील हो चुकी थी। दिनांक 10.09.2013 को प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की थी। वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की कब्जाशुदा भूमि है जिसका वादी एक मात्र अभिलिखित खातेदार है। वादी की वादग्रस्त भूमि के दक्षिण की तरफ प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि आई हुई है वादी अपने अन्य कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता है तथा हर वक्त भूमि पर मौजूद नहीं रहता है जिसके चलते प्रतिवादीगण ने वादी की वादग्रस्त जमीन को हड़पने की नियत से प्रतिवादीगण ने वादी की वादग्रस्त भूमि की दक्षिण पूर्वी माठ को नष्ट की इस उत्तरोत्तर वादी के वादग्रस्त खेत में आगे से आगे सरकाते रहे। वादी की उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में मूल खसरा नं. 528 का भाग रही है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन पक्का निर्माण करने पर आमादा है। वादग्रस्त भूमि खरीद की थी तथा बंटवारे का दावा करके हिस्सा अलग करवा लिया जिसकी पालना में म्यूटेशन नं. 1157 दिनांक 14.02.2012 भरा गया। प्रतिवादीगण को प्रतिफल की राशि भी खरीद के समय चुका दी थी

24/10/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परंतु प्रतिवादीगण के मन में बदियांती आ गई है व लालच बढ़ गया है वे रेस्पो. सं. 1 से और अधिक राशि लेना चाहते हैं। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर भी कराई है। उसके बाद रेस्पो. सं. 1 की ओर से धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया गया। पत्रावली को कैंप कोर्ट में लिया गया था, कैंप कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा केवल प्रक्रियात्मक आपत्ति की गई है जो मात्र तकनीकी आपत्ति है अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता ने धारा–5 पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.06.2016 का है तथा अपीलांट ने दिनांक 08.11.2017 को काफी समय बाद अपील पेश की है जो मियाद बाहर है। धारा–5 में अपील पेश करने में जो तथ्य अंकित किए हैं वे बनावटी व विश्वसनीय नहीं हैं। अतः अपील मियाद बाहर है तथा प्रस्तुत अपील मियाद के बिंदु पर भी खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अपीलांट ने प्रस्तुत अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व प्रकरण की परिस्थितियों के मध्य नजर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवदेन किया। रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य विश्वसनीय नहीं हैं। लेकिन रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र जवाब पेश नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के खण्डन में कोई काउंटर शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। प्रकरण की आदेशिका में पाई गई अनियमितता को देखते हुए भी धारा–5 के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उठाये गए तथ्यों की पुष्ठि होती है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य व साक्षी प्रस्तुत किये ही नहीं गये हैं। इस प्रकार वादी ने अपने वाद को सिद्ध करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को मृत व्यक्ति के खिलाफ भी पारित

24/10/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.09.2013 को प्रतिवादी सं. 1 से 4 तक की अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग भी ली गई। इस संबंध में पत्रावली की आदेशिका का अपीलांट के अधिवक्ता ने अवलोकन कराया। लेकिन पत्रावली पर अण्डरटेकिंग लेने वाले अधिवक्ता के नीचे अंकित हस्ताक्षरों को अधीनस्थ न्यायालय के स्टाफ ने अनाधिकृत तरीके से उस स्थान से फाड़ दिया गया है। पत्रावली में इस संबंध में कोई अंकन भी नहीं किया गया है जिससे प्रकरण में अनियमिताओं की पूर्ण संभावना है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को सिद्ध करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तथा वाद को सरसरी तौर पर स्वीकार कर दिया है व मृत व्यक्ति के विरुद्ध भी वाद को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। अतः इस प्रकार की निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायहित में प्रतिवादीगण का जवाब दावा लिया जाकर, नियमानुसार तनकीयात कायम की जावें तत्पश्चात उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर व समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि अनुसार पुनः निर्णय व डिक्री पारित किया जावे। उभयपक्षकार दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.11.2018 तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

24/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर